

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग


क्रमांक:- एफ 1(1)(4) आप्रसथा/सामान्य/2012/3319-46

जयपुर, दिनांक 1.8.13

अधिसूचना

राजस्थान एफेक्टिव एरियाज (सरपेंशन ऑफ प्रोसिडिंग्स) एक्ट, 1952 (राजस्थान अधिनियम संख्या 21 सन् 1952) की धारा 3 व 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान सरकार एतद द्वारा राज्य के जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर एवं नागौर जिलों को अभावग्रस्त घोषित करती है एवं निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 से 10 तक के प्रावधान प्रभावित क्षेत्रों में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने से 31 जुलाई, 2013 तक लागू रहेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(अभय कुमार)
शासन सचिव